'अवैध खनन पर रोकथाम लगाए'

अलवर, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई।

जिला कलेक्टर ने खनि विभाग, वन, पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में अवैध खनन, उसके निर्गमन एवं परिवहन पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु समन्वय स्थापित कर निरन्तर निरोधात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी अलवर एवं भिवाडी को निर्देशित किया कि अवैध खनन परिवहन पर लगाम लगाने के लिए निरन्तर परिवहन विभाग की टीम फील्ड में रहे। खनन सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों के ई-रवन्ना की जांच करें। अवैध खनन पाए जाने पर तुरन्त कार्रवाई करे। उन्होंने खनि अभियन्ता को निर्देश दिये कि अवैध खनन सामग्री के भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करे। उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित अधिकारी क्रेशरों एवं लीज खानों की भी जांच करे। उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध खनन के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई में ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाए।

बैठक में डीएफओ अलवर ए.के श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन लाल मीणा, खनि अभियन्ता राजेन्द्र सिंह, डीटीओ अलवर ललित गुप्ता, डीटीओ भिवाडी श्री आदर्श राघव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के बीच छात्रसंघ चुनाव को लेकर मतदान आज

कोटपूतली, (निसं)। छात्रसंघ चुनाव के लिए कस्बे के दोनों राजकीय महाविद्यालयों में शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय व राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर शुक्रवार को छात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्थायें चाक-चौबंद की जा रही है।

■ **एलबीएस महाविद्यालय में 5985, पानादेवी में 1658 मतदाता चुनेंगे कॉलेज की सरकार**

इसके लिए मुख्य मार्ग पर बेरीकैडिंग करवाई गई है। मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आरएसी की एक कम्पनी सहित कोटपूतली, पनियाला, सरूण्ड व प्रागपुरा थानो का जाप्ता तैनात रहेगा। वहीं एडीएम जगदीश आर्य, एसडीएम ऋषभ मंडल, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा सहित एएसपी विधा प्रकाश, डीएसपी डॉ. संध्या यादव, एसएचओ सवाई सिंह सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी तैनात रहेगें।

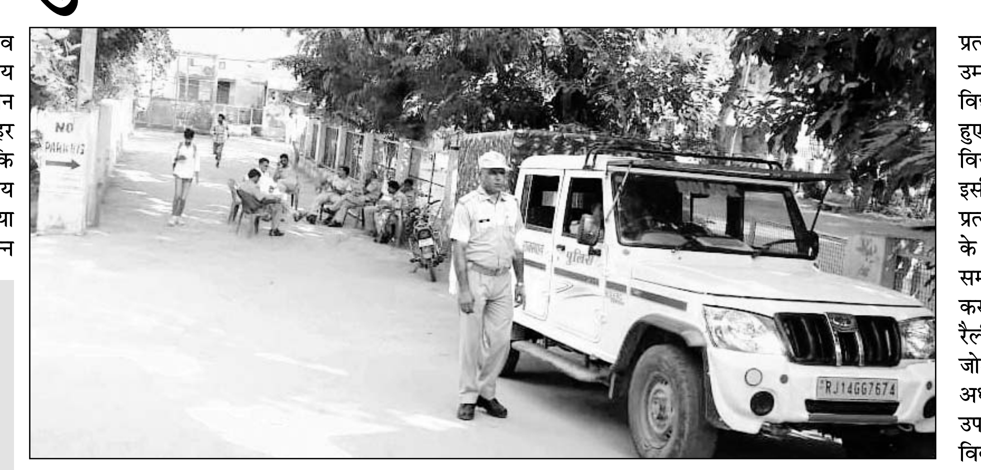

कोटपूतली के एलबीएस कॉलेज परिसर में पुलिस के जवान तैनात।

राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर.पी. गुर्जर के अनुसार मतदान हेतु जीण माता मंदिर की ओर से प्रवेश होगा, जबकि डाक बंगला वाले गेट से मतदाताओं की निकासी की जायेगी। महाविधालय में 3662 छात्र व 2323 छात्राओं समेत कुल 5985 मतदाता है। जिनके लिए 15 बूथ बनाये गये है। परिचय पत्र के अभाव में वोट नहीं डालने दिया जायेगा। वहीं पोलिंग एजेंट मतदान प्रक्रिया से पूर्व महाविधालय में उपस्थित होकर फॉर्म भरकर बनाये जायेगें। मतगणना शनिवार 27 अगस्त को प्रातः 10 बजे से होगी। जिसमें प्रत्याशी स्वयं उपस्थित रह सकते है। मतगणना के तुरन्त बाद परिणाम घोषित कर विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलवाई जायेगी। किसी भी प्रकार के विजयी जुलुस निकालने पर पुर्णतया: पाबंदी रहेगी। वहीं दुसरी ओर राजकीय पाना देवी कन्या महाविधालय की मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. भावना चौधरी ने बताया कि महाविधालय में कुल 1658 छात्रायें मतदान का प्रयोग करेगी। इसके लिए गुरूवार तक 940 परिचय पत्र बनाये जा चुके है। जिन छात्राओं का परिचय पत्र नहीं बना है वे मतदान के लिए अपनी फिस की रसीद लाकर परिचय पत्र बनवाकर वोट डाल सकती है।

चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह

फागी, (निसं)। उपखंड मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने जा रहे चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव माहौल परवान चढ़ चुका है।

एनएसयूआई अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मराज चौधरी ने पैनल की उम्मीदवारों के साथ डोर टू डोर जाकर विद्यार्थियों से अपने लिए समर्थन मांगते हुए अपने पैनल के पक्ष में वोट देकर विजयश्री दिलाने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एबीवीपी प्रत्याशी खुशबू कंवर ने भी अपने पैनल के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में समर्थकों के साथ गाड़ी में सवार कर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए एक रैली निकाली इस दौरान युवाओं का जोश देखने लायक था। वही एबीवीपी अध्यक्ष पद के लिए खुशबू कंवर उपाध्यक्ष महेश मीणा, महासचिव विकास गुर्जर व सयुक्त सचिव प्रवीण शर्मा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी प्रकार एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मराज चौधरी, उपाध्यक्ष महेश गुर्जर, महासचिव गिरजा शर्मा एवं संयुक्त सचिव अंकुश बेनीवाल ने घर घर जाकर वोट के लिए विद्यार्थियों से अपील व आग्रह करते हुए दिखाई दे रही थे। एनएसयूआई की निर्दलीय मनु चौधरी ने भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रखी है। तथा पैनल मैं उपाध्यक्ष पंकज यादव, महासचिव सुरेंद्र बेरवा के साथ अपनी जीत दर्ज ने का दावा ठोकती दिखाई दे रही है।

छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूर्ण

राजगढ़, (निसं)। राजगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में 26 अगस्त को मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

निर्वाचन अधिकारी पीएम मीना ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में होने वाले मतदान के लिए अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशियों सहित कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। छात्र संघ चुनाव में होने वाले मतदान में कुल 4583 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 1833 छात्र मतदाता एवं 2750 छात्रा मतदाता मत का प्रयोग करेंगे। प्राचार्य डॉ राव सजन सिंह ने बताया कि महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया से मतदाताओं को गुजरना पड़ेगा। फर्जी मतदान रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक दयाचंद मीणा ने बताया कि पुलिस की ओर से पर्याप्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। चुनाव में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति से महाविद्यालय के समीप टहला मार्केट तक बैरिकेड लगाए जाएंगे।

पोक्सो एक्ट के तीन अभियुक्तों को कारावास

दौसा, (निसं) विशेष न्यायालय की पीठासीन अधिकारी एवं न्यायाधीश अनु अग्रवाल पोक्सो एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुये 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 4 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि 12 अक्टूबर को पीड़िता ने महवा थाना में रामप्रसाद पुत्र रामखिलाडी निवासी खोंचपुरी, नरेश पुत्र हरिराम निवासी खोहरी, पिंटू पुत्र मनीराम निवासी खोहरी थाना महवा के खिलाफ अपहरण करने, छेडछाड करने, बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य मामला दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की तरह से 24 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किये गये, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुये 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 4 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अधिसूचना (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2142/2021
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति बनिया निवास स्थान 52 सुरज नगर, पश्चिम केशव पथ, सिविल लाईन्स जयपुर-302006
मृतक श्रीमति सावित्री देवी अग्रवाल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 7.9.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमति सावित्री देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री मांगीलाल जाति बनिया निवास स्थान 52 सुरज नगर, पश्चिम केशव पथ, सिविल लाईन्स जयपुर-302006 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 09 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 6 माह 8 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतका सावित्री देवी के प्रा.पत्र में वर्णित एफडी व पीपीएफ राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा हैं।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

उत्तर पश्चिम रेलवे
शुद्धि पत्र
ई-टेण्डर नं : एस एण्ड टी-प्रोजक्ट-जेपी-2022-23-01, **कार्य का नाम :** उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मण्डल में सादुलपुर से हिसार सेक्शन में 03 स्टेशनों पर स्टेंडर्ड-।। आर का प्रावधान।, 1. **"ई-टेण्डर बंद होने की तारीख 29.08.2022 से बढ़ाकर 14.09.2022 की जाती है।"**
उप मु.सिंग.एवं दूर सं.इंजी. / परियोजना
668-SN/22 उ.प.रे. जयपुर

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor,Sudharma-II,Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.:OA/601/2022 Exh. No:5952
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules,1993.
PUNJAB AND SIND BANK
To, V/S M/S LAL CHAND AND BROTHER
(1) M/S Lal Chand Chand And Brother D/W/S/O A-13, Surajpole Mandi Galta Gate Jaipur Rajasthan - 302003 (2) Shri Harish Kumar Madan S/O Shri Lal Chand Madan C-41-B, Ramgali No 06, Raja Park Jaipur Raj-302004 (3) Smt Saroj Madan W/O Shri Harish Kumar Madan C-41-B, Ramgali No 06, Raja Park Jaipur Raj-302004 (4) Smt Priya Madan W/O Shri Romil Madan C-41-B, Ramgali No 06, Raja Park Jaipur Raj-302004 (5) M/S Shri L.C. And Company BB - 01, Mukhya Mandi Prangan, Khairtal, Through Its Partner Harish Mada Alwar Raj. - 301404
SUMMONS
WHEREAS, OA/601/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 17/06/2022.WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed againts you for recovery of debts of Rs. 12053231/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section19 of the Act, You the defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted: (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application: (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal: (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial intuitions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 18/10/2022 at 10:30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence. Give under my hand and seal of this Tribunal on this date:15/07/2022
(Seal) Registrar DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

'कार्यकर्ताओं की भावना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें'

दौसा, (निसं)। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार व प्रधानमंत्री की गलत नीतियों और तानाशाही सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हम सब की आवाज बन रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है कि एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने गुरुवार को सर्किट हाऊस में जनसुनवाई करते हुये पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस को लगातार मजबूती दे रहे हैं और हम सब की मंशा है कि राहुल

■ **मंत्री ममता भूपेश ने जनसुनवाई करते हुये पत्रकारों से वार्ता की**

गांधी एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा पर कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्र सरकार की गलत नीतियों का मुकाबला कर देश की जनता के साथ खड़े हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में उनको अध्यक्ष बनना चाहिए।

गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू

श्रीमाधोपुर। कस्बे में गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां गुरुवार से शुरू हो गई है। गुरुवार को कस्बे के कुंडावाला खंडेला रोड स्थित गणेश मंदिर में आगामी 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी अर्थात गणेश जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है।

मंदिर ट्रस्ट के मंत्री महावीर ठठेरा ने बताया कि भगवान गणेश का पंडित मदन लाल हरितवाल ने मंत्रोच्चारण के साथ महाभिषेक के साथ गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू की गई। भगवान को महाभिषेक के साथ वस्त्र धारण करवा कर मोदक का भोग लगाया गया। और भक्तों को महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर पंडित मक्खन लाल शर्मा,रामगोपाल शर्मा,अशोक कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार, नरेश पंजाबी, रामजीलाल, विष्णु सैनी, राहुल सैनी सहित कई भक्तगण मौजूद रहे।

कुंडावाला खंडेला रोड स्थित गणेश मंदिर में महाभिषेक के साथ गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू की गई।

कोमल शेखावत सम्मानित होंगी

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद सीकर द्वारा आयोजित समारोह अजीतगढ़ उप तहसील कार्यालय में संचालित राजीविका की कोमल कैंटीन का राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद सीकर में एन आर एल एम परियोजना अंतर्गत संचालित महिला स्वयं सहायता समूह की महिला कैडर्स को 26 अगस्त शुक्रवार को प्रधान का जाव सीकर में महिला समानता दिवस पर श्रेष्ठ कार्य एवं प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में राजीविका की कोमल कैंटीन की संचालिका गढ़ टकनेत निवासी कोमल शेखावत को सम्मानित किया जाएगा।

विवाद्कों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय एडीजे नं.-3 जयपुर महानगर द्वितीय
ओम शंकर विरुद्ध बृजगोपाल
वाद बाबत सी.एस.
वाद सं. 434/सन् 2021
बनाम हेमलता उर्फ स्नेहलता पुत्री श्री राधेश्याम पारीक स्थान पता-मकान नं. 7 एवं 8 (मिडिल), पार्श्वनाथ कॉलोनी निर्माण नगर, जयपुर (राज.) .....ने आपके विरुद्ध .....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 03 माह 09 सन् 2022 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 16 माह 08 सन् 22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-शेरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-03, जयपुर महानगर द्वितीय

अलवर में बीजेपी का धरना, राज्य सरकार पर हमला बोला

अलवर, (निसं)। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध खनन, बढ़ते अपराध, दलित व महिला अत्याचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताया और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए।

कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को साढे 3 साल हो गए। कभी पुजारियों पर हमला होता है, कभी अवैध खनन के चलते साधु को आत्मदाह करना पढ़ता है, कभी राजगढ में मंदिर तोड दिए जाते हैं, अलवर सहित प्रदेश भर में लूट व डकैती की वारदात बहुत तेजी से बढी हैं, अवैध खनन खुलेआम होता है। दलित व महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं, मॉब लिंचिंग की वारदात होती हैं।

यह सब बताता है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार फेल है। आत्महत्या, डकैती, अवैध खनन बेलगाम है। लग रहा है कि राम राज्य की जगह जंगल राज है। सरकार के विरोध में कलेक्टर के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।

इस धरने में सभापति घनश्याम गुर्जर, अशोक गुप्ता, पं जले सिंह, अरुण जैन, सतीश यादव सहित काफी संख्या में अलवर शहर के जनप्रतिनिधि व बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जिन्होंने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की।

चालीहा के समापन पर उमड़ा सैलाब

खैरथल, (निसं) सिन्धी समुदाय का भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस चेटीचण्ड के बाद दूसरा सबसे बडा धार्मिक उत्सव चालीहा साहिब का गुरुवार को आरती व पल्लव पाकर अलवर में जल में विसर्जित कर समापन किया गया।

झूलेलाल मंदिर व्यवस्थापक अर्जुनदास बाबानी ने बताया कि झूलेलाल मंदिर में बाबा शीतलदास लालवानी, किशनगढबास के बाबा बाबुलाल चंदनानी के सानिध्य एवं पूज्य सिन्धी पंचायत अध्यक्ष मुखी मनोहरलाल रोघा के सानिध्य में आयोजित चालीहा साहब उत्सव 16 जुलाई से नियमित चल रहा था 40 दिन पूरे करने के बाद गुरुवार को झुलेलाल मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान झूलेलाल का अक्खो आदि परवान करने के लिए झुलेलाल मंदिर से कस्बे के मुख्य मुख्य मार्गो से ज्योत परवान यात्रा निकाली गई।

ज्योत परवान यात्रा को खैरथल से

■ **सिन्धी समुदाय के 40 दिन से चल रहे धार्मिक उत्सव चालीहा का समापन**

अलवर के नटनी का बारा बांध के तट पर पूज्य सिन्धी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश रोघा, बाबा दयालदास प्रदनानी, भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारीलाल ज्ञानानी,सेवक लालवानी, बाबू गोरवानी,बेबु नारायण बालानी, महेश आडतानी, बूलचंद मनवानी, श्याम केवलानी,हरीश शर्मा,राजकुमार ज्ञानवानी,प्रदीप गुरनानी,प्रकाश चंद सहित सैकडों की संख्यां में श्रद्धालु, पूज्य सिन्धी पंचायत,भारतीय सिंधु सभा, झूलेलाल सेवा समिति के सेवादार बहराना साहिब के साथ जाकर पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी के साथ स्नान ध्यान कर जल देवता की पूजा अर्चना कर अक्खो आदि परवान (विसर्जन) किया गया।

रीडिंग कैंपेन के पोस्टर का विमोचन

फागी, (निसं)। उपखण्ड क्षेत्र की लदाना पंचायत मुख्यालय पर संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में रूम टू रीड संस्था के लिट्रसी कार्यक्रम के तहत रीडिंग कैंपेन के पोस्टर का विमोचन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सारिका सिंगल द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए रूम टू रीड की लिट्रेसी फैंसीलेटर सुमन चौधरी ने बताया यह कार्यक्रम 15 अगस्त से 8 सितंबर तक रीडिंग कैंपेन के माध्यम से पढ़ना जहां समानता वहां थीम पर आधारित शिक्षकों, बच्चों और समुदायों को समुदाय को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु रैली कहानी सुनाना चित्रकला अधूरी कहानी पूरी करो बाहर गीत खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 1 सितंबर को रीड ए थोन एक साथ 20 से 25 मिनट का पढ़कर पढ़ने का संदेश देंगे और बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने का संदेश दिया जाएगा

वादपत्र के स्थिरीकरण हेतु सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 जाब्ता दीवानी परिशिष्ट ख से 02)
न्यायालय:- सहायक कलैक्टर एव उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अवि गर्ग आरएएस.
युनुस अली आदि बनाम स्टेट व अन्य
राजस्व वाद संख्या-418/2019
बाबत:- अपवादित खाता को दुरुस्त करने हेतु वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
बनाम:-
आसरदास पुत्र श्री धनूमल जाति सिंधी निवासी सांभरलेक, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
वादी ने न्यायालय में आपके विरुद्ध उपरोक्त वादपत्र प्रस्तुत करते हुए चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 107/101 तादादी 2.277 हैक्टेयर व चक 1 आर.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 73/56 तादादी 3.113 हैक्टेयर में दुरूस्ती का निवेदन किया है।
लिहाजा आपको सूचना दी जाती है कि तारीख 12 माह 09 सन् 2022 बरोज 10 बजे दिन के अदालत हाजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ वजह जाहिर करे वरना वादपत्र मंजूर एकतरफा सुना व निर्णय किया जायेगा। न्यायालय की आज्ञा व मोहर अदालत आज दिनांक 22 माह 8 सन् 2022 को जारी किया गया।
न्यायाधीश
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5709/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी जिज्ञासा गहलोत पुत्री स्व. पारसमल गहलोत जाति राजपूत विवाद स्थान निवासी 145, महावीर नगर-2, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर
मृतक स्व. श्री पारसमल गहलोत की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 12.10.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. पारसमल गहलोत पुत्र स्व. श्री बाबुलाल निवासी 145, महावीर नगर-2, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 10 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 24 माह 08 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक पारसमल के प्रा.पत्र में वर्णित पॉलीसी की राशी मय ब्याज बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्रा चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कॉवट (सीकर)
Phone No.: 01575-233335 Email: kanwatchc@gmail.com
क्रमांक-खुली निविदा/एम.आर.एस./2022-23/410 दिनांक-2.08.2022
निविदा सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कॉवट हेतु माह 09/2022 से माह 03/2023 तक के लिए निम्न सामान क्रय किये जाने बाबत पंजीकृत विक्रेताओं/निविदादातो/अधिकृत डीलर से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत राशि (रु.)(वार्षिक)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	अमानत राशि (रु.)
1	लेबोरेट्री रेजेन्ट, केमिकल्स एवं एक्स-रे फिल्म व अन्य सामान	350000/-	500/-	7000/-
2	प्रिंटिंग एवं डाट मैट्रिक्स प्रिंटर हेतु पेपर रिम	250000/-	500/-	5000/-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 24.08.2022 से 02.09.2022 तक दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय एवं उसी दिवस को दोपहर 01.00 बजे तक जमा किये जायेंगे। 2. कार्य सं. 1 व 2 से संबंधित प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 02.09.2022 को दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। 3. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। 4. उपरोक्त कार्य एवं आईटम हेतु समस्त नियम एवं निविदा की शर्तें निविदा पत्र में अंकित है जो कि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती है। 5. उक्त समस्त कार्यों के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी का पंजिकृत होना आवश्यक है, जिसका पंजिकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। 6. धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट Rajasthan Medicare Relief Society, CHC Kanwat के नाम से देय होगा। 7. उक्त निविदा राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर डाली हुई है। 8. किसी भी वाद हेतु स्थानीय न्यायालय कार्यक्षेत्र होगा। 9. बिड प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा https://sppp.rajasthan.gov.in साईट से डाउनलोड करके शुल्क Rajasthan Medicare Relief Society, CHC Kanwat के नाम से डी.डी. बनाकर बिड प्रपत्र के साथ जमा करवाना होगा तथा डाक द्वारा निविदा भेजने पर निविदा शुल्क का ब्यौरा डाक के लिफाफे पर लिखना होगा एवं तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. उक्त समस्त निविदाओं में जीएफएण्डएआर व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे। अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त करें।
सदस्य सचिव, मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी
राज.सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, कॉवट (सीकर)

प्रारुप-13 (नियम 13(2) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका, फुलेरा जिला जयपुर राज.
क्रमांक-1942 दिनांक-25.08.2022
आपत्ति सूचना
अधोहस्ताक्षर की जानकारी में यह लाया गया है कि नगरीय क्षेत्र फुलेरा के राजस्व ग्राम फुलेरा में स्थित भूमि या उसके भाग जिनका विवरण नीचे दिया गया है, का 17.06.1999 से पूर्व/पश्चात की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए निम्नांकित भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने की दायी है-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्ट.में)
1	काचरोदा	267/1	0.7461
2	फुलेरा	642	0.0253
		580	0.2655
		439	0.0126

अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया गया है, कि सूचना प्रकाशन की तारीख से 07 दिवस के भीतर-भीतर कारण बताये क्यों ना उक्त भूमि पर उनके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जावे और इसलिए क्यों ना भूमि को राज्य सरकार समस्त विल्लगमों से मुक्त निहित किया जा सकें। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन.....के दिन जारी की जाती है।
नोट-खातेदारों के पूर्ण पते उपलब्ध ना होने से उक्त लोक सूचना को व्यक्तिगत नोटिस भी माना जावें।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका फुलेरा

एनएसयूआई की कोमल करोलिया अध्यक्ष बनी

निवाई, (निसं)। स्थानीय आरएनटी महाविद्यालय में गुरूवार को चुनाव अधिकारी गोविंद सिंह चौहान एवं अंकित पारीक के सानिध्य में छात्र संघ के चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई।
जिसमें सर्वसम्मति से छात्रसंघ के अध्यक्ष के पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी

■ **एबीवीपी की अनुराधा बैरवा उपाध्यक्ष बनी**

कोमल करोलिया को मनोनीत किया है। निर्वाचन अधिकारी गोविंद सिंह चौहान ने बताया कि महाविद्यालय में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कोमल करोलिया, उपाध्यक्ष के पद पर एबीवीपी की प्रत्याशी अनुराधा बैरवा, महासचिव पद पर एसएफआई की प्रत्याशी स्नेहा शर्मा एवं संयुक्त सचिव के पद पर

आरएनटी महाविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों को स्वागत किया।

एबीवीपी प्रत्याशी साक्षी खंडेलवाल को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद उपस्थित छात्र-छात्राओं ने सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)
चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.04.2021 को एक मांग नोटिस कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. श्री चैन सुख चौधरी, 2. श्रीमती इन्दिरा देवी को जारी किया गया था, जिसमें 08.04.2021 की तिथि को एक मांग नोटिस उल्लेखित राशी रुपये 29, 61, 678.55 (रुपये उन्तीस लाख इकसठ हजार छह सौ अठहत्तर और पेसा पचपन मात्र) का भुगतान उपर्युक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।
चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज अगस्त 2022 के 23वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट फायनेन्स होम लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रुपये 29, 61, 678.55 (रुपये उन्तीस लाख इकसठ हजार छह सौ अठहत्तर और पेसा पचपन मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।
कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।
अचल सम्पत्तियों का विवरण
रिहायशी प्लाट नं. ए-16, (दक्षिण भाग), क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज अर्थात 69.67 वर्गमीटर, श्री गणेशम विहार, बडारमा, कलवाड रोड, जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-30 फिट रोड, पश्चिम-प्लाट नं. ए-5, उत्तर-प्लाट नं. ए-16 का भाग, दक्षिण-प्लाट नं. ए-15
दिनांक- 23.08.2022
स्थान- जयपुर
ऋण खाता संख्या- 25416215
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व नाम कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)